राजस्थान सरकार,
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प.3(20)नविवि/3/2011 जयपुर, दिनांकः 25 NOV 2014

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 90-क की उपधारा (2) के साथ पठित राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 10 के उप-नियम (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा "राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना-2014" के अधीन विधिमान्य पात्रता प्रमाण पत्र धारण कर रहे उद्यम (उद्यमों) की स्थापना के लिये कृषि भूमि के गैर-कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग की अनुज्ञा की दशा में उक्त नियमों के नियम 9 के उप-नियम (1) के अन्तर्गत देय रूपान्तरण शुल्क (conversion charges) में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अशोक जैन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव (प्रथम), माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
5. आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. संभागीय आयुक्त, (समस्त) राजस्थान।
7. जिला कलक्टर, (समस्त) राजस्थान।
8. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय एवं शासन उप सचिव-प्रथम/द्वितीय, नगरीय विकास विभाग।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को उक्त अधिसूचना विभागीय बेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
12. मुख्य नगर नियोजक, नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. सचिव, नगर सुधार न्यास, (समस्त) राजस्थान।
14. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रति मय साफ्ट कॉपी के प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना का राजपत्र के असाधारण अंक के आगामी दिनांक में प्रकाशित कराकर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
15. समस्त अधिकारीगण, नगरीय विकास विभाग।
16. रक्षित पत्रावली।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

UDH/Order/2014